पत्रांक :11/नि2–13/91(अंश–II)......1025

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक:

आर०बी० चौधरी,
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)।

सेवा में,

सभी नगर आयुक्त, नगर निगम,
सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत।

पटना, दिनांक ...7.... ~~जून~~ जुलाई 2013

विषय : उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन हेतु आवेदन प्राप्ति की तिथि को विस्तारित करने एवं कम्प्यूटर शिक्षक के बी०एड० प्रशिक्षण के संबंध में।

महाशय,

उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन के क्रम में विभिन्न जिलों में कम्प्यूटर साइंस के शिक्षक नियोजन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किये जा रहे हैं। कम्प्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों द्वारा ध्यान आकृष्ट किया गया है कि कम्प्यूटर शिक्षक के लिए बी०एड० प्रशिक्षण की अनिवार्यता नहीं रखी जाय।

अधिसूचित नियुक्ति नियामवली 2006 के के नियम 4 ख (II एवं III) के प्रावधान के अनुसार संबंधित विषय में स्नातकोत्तर एवं बी०एड० की अहर्ता होनी चाहिए। कम्प्यूटर शिक्षक के नियोजन के संबंध में समीक्षोपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कम्प्यूटर शिक्षक के नियोजन के लिए बी०एड० प्रशिक्षण की अनिवार्यता नहीं है।

अतः अधिसूचित नियुक्ति नियमावली के नियम 16 (1) के प्रावधान के तहत नियोजन इकाईओं को निदेशित किया जाना चाहिए कि कम्प्यूटर शिक्षक नियोजन के लिए निम्न अहर्ताधारियों का आवेदन पत्र स्वीकार किये जायें।
At least 50% marks in aggregate in any of the following:

'A' level from DOEACC and Post Graduate Degree in any subject.

OR

BE or B.Tech (Computer Science/IT) from a recognized University or an equivalent Degree or Diploma from an Institution/University recognized by the Govt. of India.

OR

BE or B.Tech (Any stream) and Post Graduate Diploma in Computers from any recognized University.

OR

M.Sc. (Computer Science)/MCA or Equivalent from a recognized University.

OR

B.Sc.(Computer Science)/BCA or Equivalent and Post Graduate Degree in any subject from a recognized University.

OR

Post Graduate Diploma in Computer and Post Graduate Degree in any subject from a recognized University.

OR

'B' Level from DOEACC and Post graduate degree in any subject.

OR

'C' Level from 'DOEACC' Ministry of Information and Communication Technology and Graduation.

Note : For subsequent promotion the incumbent will have to acquire B.Ed. or equivalent degree.

उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन के क्रम में विभागीय पत्रांक 877 दिनांक 07.02.13 द्वारा प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति के आलोक में नियोजन हेतु आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि 10.07.13 निर्धारित की गयी थी। कतिपय जिलों द्वारा ससमय आरक्षण समाशोधन एवं नियोजन के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन नहीं किया गया है। इस संबंध में अभ्यर्थियों ने भी सूचना दी है।

अधिसूचित नियुक्ति नियमावली के प्रावधान के अनुसार आवेदन लेने हेतु 30 दिनों का समय देना अनिवार्य है। आवेदन प्राप्त करने की तिथि 26.07.13 तक विस्तारित किया जाता है। वैसे जिले जिन्होंने पूर्व से निर्धारित तिथि से आवेदन प्राप्त करना शुरू किया है, पूर्व से निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन प्राप्त करेंगें।

उपर्युक्त निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए इस आशय की सूचना संबंधित नियोजन, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, उप विकास आयुक्त कार्यालय एवं जिला पदाधिकारी कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी प्रकाशित एवं एन०आई०सी० के बेवसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगें।

विश्वासभाजन,

8.7.13

(आर०बी० चौधरी)

निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

ज्ञापांक :11/नि2–13/91(अंश–II)...1025...... पटना, दिनांक ...7... जुलाई 2013

प्रतिलिपिः–सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवशयक कार्यार्थ प्रेषित।

8.7.13